

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष १०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो किबौर प्रसाद गौर 2. वर्तमान धारित पद सहायक वर्ग-3
 3. वर्तमान वेतन 10100 + 2800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2013
= 12900

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **छोटे परत, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	द्वारा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम बुन्नास त. - हरदा जिला - हरदा	-	3 एकड़ कृषि भूमि	30 लाख रुपये	माताजी के नाम क्षीमती गौर	पैतृक विरासत में	54 हजार रुपये	
2. काला नगर क्षीपानेर रोड हरदा जिला हरदा (म.प.)	-	लॉट 15x60 फीट	6=00 लाख रुपये	पत्नी क्षीमती किमला गौर	पैतृक विरासत में	कोई नहीं	

* - जहां स्थान न हो काल टैजिप।
 ** - ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सगणम मूल्य बतलाया जाए।
 *** - इसमें अल्पकालीन परते भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवान पर धोखा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परते या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्त्री दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम किबौर प्रसाद गौर
 पद सहायक वर्ग-3
क्यालनालय नगरीय प्रशासन 100
जिला - प्रताप - खोसला